प्राप्त पत्रों की क्रम सं०-..13.....
तिथि-...06/04/23
भू० सु० उप० का कार्यालय, पोड़ाहाट, चक्रधरपुर

36
15/4/23

XXII-1/23

THE COURT OF THE DEPUTY COMMISSIONER, WEST SINGHBHUM, CHAIBASA

UNDER SECTION 215 C.N.T. Act
NATURE OF CASE S.A.R. Appeal No. 15/2017-18
NAME OF PARTIES Umesh Gupta @ Awadhesh Kumar -v/s- Rango Gagarai

| Sl No & Date of order | Order | Note of action taken on order with date |
|---|---|---|
| 16.9.22<br><br>R 13/4/2023 | यह अपील अपीलकर्त्ता द्वारा 29.01.2018 को एस० ए० आर० केस सं०-04/15-16 में पारित आदेश दिनांक 08.12.2017 के विरूद्ध जो कि एस० ए० आर० की धारा 71 (A) में पारित आदेश की विरूद्ध धारा 215 (5) छोटानागपुर काश्त कारी अधिनियम के अन्तर्गत दाखिल किया गया है।<br><br>इस अपील में निम्न अदालत अभिलेख मांगा गया तथा उत्तरवादी को नोटिस निर्गत किया गया उत्तरवादी द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर अपना आपत्ती आवेदन दिनांक 25.09.2018 को दाखिल किया गया। इस अपील में दिनांक 08.08.22 को प्रथम पक्ष/अपीलार्थी उपस्थित नहीं होने के कारण उनकी सुनवाई नहीं हो सका, द्वितीय पक्ष की सुनवाई किया गया। प्रथम पक्ष को सुनवाई हेतु दिनांक 16.08.2022 को अंतिम अवसर दिया गया। दिनांक 16.08.2022 को पूर्ण रूप से सुनवाई किया गया। दिनांक 22.08.2022 तक लिखित बहस दाखिल करने का समय दिया। दिनांक 22.08.2022 को उत्तरावादी द्वारा लिखित बहस दिया गया। अपीलकर्त्ता की ओर से कोई लिखित बहस दाखिल नहीं किया गया। फिर भी अपीलकर्त्ता को 01.09.2022 तक लिखित बहस दाखिल करने का समय दिया गया। फिर भी अपीलकर्त्ता द्वारा दिनांक 01.09.2022 को लिखित बहस दाखिल नहीं किया गया।<br><br>अतः अपील को आदेशार्थ रखा गया।<br><br>अपीलकर्त्ता के विद् अधिवक्ता का तर्क यह है कि विवादित जमीन थाना नं0-68, खाता सं०- 96, प्लॉट सं०-28, रकंवा-1.500 डी० मौजा- चक्रधरपुर को रूखसाना खातुन द्वारा दिनांक 11.12.2009 को विक्री समझौता निष्पादित करके अपीलकर्त्ता को उक्त भूमि बेच दिया और बिना किसी हस्तक्षेप के कब्जा कर लिया गया तथा अपीलार्थी की पत्नी ने भी उक्त भूमि पर भवन का निर्माण कराया है। धारा 71(A) इस पर लागू नहीं होता है। अपीलकर्त्ता की ओर से यह भी कहा गया कि एस० ए० आर० केस अपीलकर्त्ता पर गलत रूप से किया गया है। जमीन खाली करने का आदेश अपीलकर्त्ता पर लागू नहीं होता है यह जानते हुए भी भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, पोड़ाहाट, चक्रधरपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.12.2017 पूर्णतया गैर कानूनी है। अतः भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता के आदेश दिनांक 08.12.2017 को खारिज किया जाय।<br><br>दूसरी ओर उत्तरवादी के विद् अधिवक्ता को यह कथन है कि जमीन उत्तरवादी रेंगो गागराई के पूर्वज बाबू हो के नाम से खतियान में दर्ज है। 1973 का सर्वे खतियान अविवादित एवं मान्य दस्तावेज है। चूंकि सर्वे खतियान को किसी भी पक्ष द्वारा कोई आपत्ति या तकरार नहीं किया गया। यह कानून अविवादित है कि आदिवासी का जमीन कोई गैर आदिवासी नहीं खरीद सकता है। अपीलकर्त्ता का यह दावा है कि यह जमीन अपीलकर्त्ता की द्वारा 2009 में खरीदा गया है। यह सिद्ध करता उसके पूर्व इनका उपरोक्त जमीन पर | |

| Sl No. & Date of order | Order | Note of action taken order with date |
|---|---|---|
| | कोई दखल नहीं था। अपीलकर्त्ता का यह तर्क है कि उस पर भवन निर्माण है तथा जमीन का स्वरूप बदल गया है, कानून की दृष्टि में मान्य नहीं है। | |

मेरे द्वारा निम्न अदालत में पारित आदेश तथा अभिलेख का अवलोकन ध्यान पूर्वक किया गया है। निम्न अदालत का तथ्य है कि ब्राबू हो नाबालिक का धर्म पिता बनकर शेस महबूब द्वारा हस्तांतरण पूर्णतया प्रथम दृष्टया अवैध प्रतीत होता है मेरे विचार से सही प्रतीत होता है। आदेश की अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, पोड़ाहाट, चक्रधरपुर के आदेश दिनांक 08.12.2017 विधि सम्मत है और उक्त आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप या परिवर्तन की जरूरत नहीं है। अतः अपील को खारिज किया जाता है तथा दिनांक 08.12.2017 को पारित आदेश को बरकरार रखा जाता है।

लेखापित।

Anany Mittal
उपायुक्त
पश्चिमी सिहंभूम चाईबासा।

Anany Mittal
उपायुक्त
पश्चिमी सिहंभूम चाईबासा।

ज्ञापांक 268(B)/विधि०, दिनांक 21/02/23

प्रतिलिपिः– निदेशानुसार भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, पोड़ाहाट चक्रधरपुर को एस०ए०आर० केस संख्या– 4/ 2015–16 अभिलेख संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– निदेशानुसार अनुमण्डल पदाधिकारी, पोड़ाहाट चक्रधरपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

21/2/23
उपसमाहर्त्ता प्रभारी,
विधि शाखा,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

Digitally signed by KUSHALMY KINETH MUNDU
Date: 2025:04.08 11:57:12 +05:30
Location: 10.93.69.133